...हर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–123 / 2022–23
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
इलियास अंसारी
–::आदेश::–

22.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–12 / 2023, दिनांक–10.02.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि हरला थाना कांड सं0–22 / 2023, दिनांक–09.02.2023 के अन्तर्गत जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH09AJ-0839 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू वाहन मालिक इलियास अंसारी पिता मो0 शहादत अंसारी, सा0–धनघरी, बैधमारा, हरला जिला बोकारो के विरूद्ध बिना ई–परिवहन चलान के परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा दायर वाद के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात होता है कि दिनांक–09.02.2023 को समय 07:45 AM बजे खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो एवं स्थानीय पुलिस बल के साथ हरला थाना अन्तर्गत कालीबाड़ी में निरीक्षण अभियान के क्रम में अवैध रूप से बालू खनिज का प्रेषण करते हुए एक ट्रैक्टर जिसका रजि0 सं0–JH09AJ-0839 एवं ट्रॉली स0-- JH09AJ-3139 तथा उस पर लदा 100 घनफीट बालू के साथ पकड़ा गया। पुलिस बल को देखते ही वाहन का चालक वाहन छोड़कर भाग गया। ततपश्चात पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत वाहन एवं उस पर लदा बालू को विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर जप्त करते हुए थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया है कि खनन विभाग के द्वारा उनके वाहन पर राजसात करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है।

प्रश्नगत वाहन का सम्पूर्ण कागजात अदयतन एंव वैध रहने के बाद भी खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा जबरन चालान को गलत बताकर झूठे एवं निराधार मुकदमें को न्यायालय के समक्ष रखा गया है। घटना की तिथि को वाहन में कोई अवैध बालू नहीं लदा था, बल्कि प्रश्नगत बालू को खरीद कर मकान बनाने के लिए परिवहन किया जा रहा था। उक्त बालू से संबंधित प्रतिवादी के पास वैध चालान मौजूद था। लेकिन निरीक्षण अभियान के दौरान उक्त चालान को खान निरीक्षक एवं पुलिस बल द्वारा उसे मानने से इन्कार कर दिया गया। दायर वाद में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता है कि वाहन का कोई कागजात वैध नहीं था या लदा बालू अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा राजसात की कार्यवाही को खारिज एवं जप्त वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रतिवादी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रश्नगत बालू के संदर्भ में जिस चालान की प्रति को समर्पित किया गया है वह दिनांक– 05.06.2018 को निर्गत है, जबकि यह मामला हरला थाना काण्ड सं0–22/23, दिनांक–09.02.2023 के अन्तर्गत दर्ज है। ऐसे में इस चालान को प्रश्नगत बालू के लिए वैध नहीं माना जा सकता है। स्पष्टत प्रतिवादी के द्वारा बिना वैध कागजात (चालान) के ही प्रश्नगत बालू का परिवहन किया जा रहा था। जाँच दल को देखते ही वैध कागजात/ई परिवहन चालान प्रस्तुत करने के बजाय, चालक/मालिक का वाहन छोड़कर भागना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है। उनकी ओर से दिया गया दलील न तो संतोषजनक है और न ही उसका कोई ठोस आधार। बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों का उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा–4(1), 4(1A) का उल्लंधन है एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा–21 के तहत दण्डनीय भी साथ ही **The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के नियम–9 का उल्लंघन है जो नियम 13 के तहत दण्डनीय है। वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से स्टोन चिप्स के परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining,**

Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।

फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–12/2023, दिनांक–10.02.2023 को स्वीकृत करते हुए हरला थाना कांड सं0–22/2023, दिनांक–09.02.2023 के अन्तर्गत जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH09AJ-0839, ट्रॉली रजि0 नं0–JH09AJ-3139 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

22.1.24

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

22.1.24

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No....13.....Dated..11/3/24

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.02 17:22:55 +05:30
Location: 192.168.1.101